

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचबी(15)2/95-II-I/318848/2024

दिनांक:10-01-2024

"कार्यालय आदेश"

पंचायती राज विभाग में अराजपत्रित श्रेणी-II, III व IV के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने उपरांत उनके नाम के आगे अंतिम कॉलम में दर्शाई गई तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करने के आदेश प्रदान किए जाते हैं:-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पद श्री /श्रीमती	जन्म तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	पंकज मैहता, अधीक्षक-II	10.05.1966	कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी बिलासपुर	31.05.2024 (अपराहन)
2	सलदीप सिंह, जिला अकेक्षण अधिकारी	01.06.1966	कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी मण्डी	31.05.2024 (अपराहन)
3	भूप चंद, अकेक्षण	14.08.1966	कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी कांगडा	31.08.2024 (अपराहन)
4	सुरेश कुमार, पंचायत निरीक्षक	05.04.1966	विकास खण्ड बमसन	30.04.2024 (अपराहन)
5	प्यारे लाल शर्मा, पंचायत निरीक्षक	22.08.1966	विकास खण्ड मशोबरा	31.08.2024 (अपराहन)
6	अरुण सिंह, पंचायत निरीक्षक	06.01.1967	विकास खण्ड चौतड़ा	31.01.2025 (अपराहन)
7	कृष्ण लाल, पंचायत निरीक्षक	22.01.1967	विकास खण्ड बाली चौकी	31.01.2025 (अपराहन)
8	सतीश कुमार, पंचायत निरीक्षक	08.04.1966	विकास खण्ड रैत	30.04.2024 (अपराहन)
9	हरी चंद, पंचायत निरीक्षक	12.01.1967	विकास खण्ड नारकण्डा	31.01.2025 (अपराहन)
10	पूर्ण चंद, पंचायत निरीक्षक	22.03.1967	विकास खण्ड आनी	31.03.2025 (अपराहन)
11	ओकार चंद, उप-निरीक्षक (पंचायत)	09.01.1967	विकास खण्ड इन्दौरा	31.01.2025 (अपराहन)
12	दलीप कुमार, उप-निरीक्षक(पंचायत)	26.10.1966	विकास खण्ड निहारी	31.10.2024 (अपराहन)
13	हरी दास, उप-निरीक्षक(पंचायत)	19.03.1967	विकास खण्ड राजगढ़	31.03.2025 (अपराहन)
14	अनूप कुमार, उप-निरीक्षक(पंचायत)	06.08.1966	विकास खण्ड गगरैट	31.08.2024 (अपराहन)
15	सुभाष चंद, उप-निरीक्षक(पंचायत)	08.04.1966	विकास खण्ड बमसन	30.04.2024 (अपराहन)
16	पदम देव, चालक	03.01.1967	कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी सोलन	31.01.2025 (अपराहन)
17	सजय कुमार, सेवादार	11.12.1964	कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी चम्बा	31.12.2024 (अपराहन)
18	डोमेश्वर शर्मा, सेवादार	14.06.1964	कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी मण्डी	30.06.2024 (अपराहन)
19	सुरेश कुमार, सेवादार	20.11.1964	कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी कांगडा	30.11.2024 (अपराहन)

20	प्रताप सिंह, सेवादार	12.10.1966	कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी मण्डो	31.10.2024 (अपराहन)
21	राम लाल, सेवादार	12.09.1964	कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी लाहौल स्पिति	30.09.2024 (अपराहन)
22	मूल चंद, सेवादार	15.10.1964	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान थुनाग	31.10.2024 (अपराहन)
23	अनिल कुमार, सेवादार	04.10.1964	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ	31.10.2024 (अपराहन)
24	जोगी राम, चौकीदार	02.02.1965	कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी कुल्लु	28.02.2025 (अपराहन)

उपरोक्त समस्त कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह उक्त तालिका में दर्शाए गए अपने नाम के आगे अंकित जन्म तिथियों का अवलोकन करें तथा यदि किसी कर्मचारी की जन्म तिथि भिन्न हो, तो वह इस सम्बन्ध में इन आदेशों के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर अपने कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से सेवापंजिका से सत्यापन करने के उपरान्त दुरुस्ती हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें। यदि किसी कर्मचारी की जन्म तिथि सेवापंजिका में अंकित तिथि से भिन्न पाई जाती है, तो ऐसी अवस्था में विभाग को सूचित न करने हेतु कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आदेश द्वारा
निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09.

पृष्ठांकन संख्या: PCH-HB(15)2/95-II- I/318848/2024

दिनांक:10-01-2024

प्रतिलिपि:-

- वरिष्ठ उप-महालेखाकार, शिमला-03 को सूचनार्थ।
- उप सचिव, वित्त पेंशन, हि0प्र0 सरकार, शिमला-02 को सूचनार्थ।
- समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तिथि का सत्यापन सेवा पंजिका में अंकित जन्म तिथि से करें तथा यदि किसी कर्मचारी की उपरोक्त आदेशों में दर्शाई गई जन्मतिथि पर कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जन्म तिथि कर्मचारी की सेवा पंजिका से सत्यापन करने के उपरान्त तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त यदि अन्य किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किए जाने अपेक्षित हो, तो इस कार्यालय को एक सप्ताह के भीतर अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
- उपरोक्त समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- अधीक्षक- ग्रेड-II, बजट शाखा, निदेशालय पंचायती राज विभाग।
- समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों को उक्त सन्दर्भ में आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- गार्ड/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-09.

